Daily Current Affairs

लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति

चर्चा में क्यों

- हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ (मुख्यालय प्रयागराज) ने स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि एक मुस्लिम यदि उसका जीवनसाथी जीवित है तो लिव-इन रिलेशनशिप में अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।
- यह फैसला जस्टिस एआर मसूदी और एके श्रीवास्तव की दो जजों की बेंच ने सुनाया था।
- इस बेंच ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस तरह के रिश्ते अर्थात लिव-इन रिलेशनशिप को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ माना गया है ।

क्या था मामला

- याचिकाकर्ता यानि सुश्री स्नेहा देवी और श्री खान ने कोर्ट से अपने लिए पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। यह सुरक्षा इसलिए क्योंकि लड़की के माता पिता ने मोहम्मद शादाब खान पर अपनी बेटी के अपहरण और उसे जबरन अपने साथ रखने के आरोप लगाएं थे।
- इन्हीं आरोपों के खिलाफ वे दोनों अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
- अपनी सुरक्षा के पीछे उन्होंने तर्क रखा कि वे दोनों (स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान) वयस्क है और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत वे इसके हकदार भी है।

कोर्ट के फैसले के पीछे तर्क

- याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीशों ने अपने फैसला को सुनाते हुए तर्क दिया कि "इस्लामिक सिद्धांत किसी मुस्लिम को वैवाहिक होने के साथ लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देता है।
- साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि तब स्थिति भिन्न हो सकती थी यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं और बालिग होने के कारण दोनों पक्ष अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चुनते हैं।'
- उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शादाब खान की शादी वर्ष 2020 में फरीदा खातून के साथ हुई थी।

गुजरात उच्च न्यायालय का मामला

- ऐसा ही एक मामला पिछले साल तब अधिक चर्चा में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक महिला को उस पुरुष से गुजारा भत्ता देने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके साथ वह रह रही थी।
- इसमें सूरत के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि उनके रिश्ते को घरेलू रिश्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहवास के समय उन दोनों ने अन्य लोगों से शादी कर रखी थी।
- उसने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि विधायिका द्वारा पारित घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 में 'विवाह की प्रकृति में संबंध' शब्द का इस्तेमाल किया गया है न कि ' घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'लिव-इन रिलेशनशिप' का ।

Result Mitra

- उसने बताया कि सहवास या लीव इन रिलेशन के समय भी उनकी शादियाँ चलती रहीं।
- शादी के बाद भी वे दोनों 2012 में एक साथ रहे और कुछ साल बाद उनकी एक बेटी भी हुई।
- आगे लिव-इन रिलेशनशिप नहीं चलने पर महिला ने न्यायपालिका की शरण ली और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की थी ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मामला

- ऐसा ही एक मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आया । जिस पर न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि अपने पिछले पति या पत्नी से तलाक लिए बिना एक साथ रहने वाले जोड़े को "लिव-इन रिलेशनशिप" में रहने या विवाह के समान नहीं माना जायगा ।
- साथ ही अदालत ने ऐसे कार्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत द्विविवाह के रूप में अपराध के समान माना है ।
- अदालत ने सुरक्षा से मना करते हुए कहा कि "पुरुष साथी अपने पिछले पति या पत्नी से वैध तलाक प्राप्त किए बिना महिला साथी के साथ वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन में संलग्न नहीं रह सकता है।"
- इन दोनों मामलों पर कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुचने से पहले यह आवश्यक है कि हम भारत में लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति , उसके संबंध में प्रावधान , अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऐसे मुद्दों के संबंध में संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता के सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा करें ।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति

- वर्तमान समय तक भारत में ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जो सीधे तौर पर लिव-इन पार्टनरशिप को परिभाषित और उसके संबंध में प्रावधान करता हो।
- हालांकि इस संबंध में अपने विभिन्न निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना 'जीवन के अधिकार' का हिस्सा है; इसलिए, लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। लेकिन ऐसे साथियों को बालिक और पूर्व में वैध रूप से शादी शुदा नहीं होना चाहिए ।

Result Mitra

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह भी कहा है कि यदि एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो न्यायपालिका यह मान लेगी कि दोनों विवाहित थे और उनके लिए कानून समान होंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत में लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा को पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन मामले 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी, जहां न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता बालिग है इसलिए उसे कहीं भी जाने और किसी के भी साथ रहने का अधिकार है।
- हमारी राय में एक पुरुष और एक महिला अगर चाहें तो बिना शादी किये भी एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है लेकिन यह अवैध नहीं है। कानून और नैतिकता में अंतर है.
- चूंकि याचिकाकर्ता बालिग है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि उसे आजाद कर दिया जाए और वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकती है और किसी के भी साथ रह सकती है।

लिव-इन रिलेशनशिप पर प्रमुख निर्णय

- **लता सिंह बनाम यूपी राज्य, 2006 मामला** :- लिव-इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं ।

'अडल्ट्री' यानी व्याभिचार
• वर्ष 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत 'अडल्ट्री' यानी व्याभिचार ग़ैर-क़ानूनी था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत मिली आज़ादी उन मामलों पर लागू नहीं थी जो शादी के बाहर संबंध यानी अडल्ट्री की श्रेणी में आते थे.
• शादीशुदा व्यक्ति और अविवाहित व्यक्ति के बीच, या फिर दो शादीशुदा लोगों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप क़ानून की नज़र में मान्य नहीं था.
• फिर साल 2018 में एक जनहित याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 'अडल्ट्री' क़ानून को रद्द कर दिया था ।

- **एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल, 2010 मामला :-** दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध और लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है ।
- **इंद्रा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा , 2013 मामला :-** सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में महिला साथी को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षित किया ।

अन्य कानूनी प्रावधान

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (a) और अनुच्छेद 21 इसे कानूनी मान्यता प्रदान करते है । अनुच्छेद 19 (a) जहां नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है , वहीं अनुच्छेद 21 - जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है।

लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों की कानूनी स्थिति और संपत्ति के अधिकार
कानूनी स्थिति
• एस.पी.एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन पहला मामला था जो लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की वैधता को मंजूरी देता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यदि कोई पुरुष और महिला एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और कुछ वर्षों से सहवास कर रहे हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह धारणा होगी कि वे पति-पत्नी के रूप में रहते हैं और उनसे पैदा होने वाले बच्चे नाजायज़ नहीं रहेंगे।"
• इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (एफ) की भी व्याख्या की, जो अपनी नीतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से, स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवावस्था को सुरक्षित रखा जाए।
संपत्ति का अधिकार
• रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए चार बच्चों को 'कानूनी उत्तराधिकारी' मानते हुए विरासत को मंजूरी दी है । इसलिए, न्यायालय ने गारंटी दी है कि किसी भी बच्चे को उसकी विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता है जो एक महत्वपूर्ण अवधि के लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ है।
• भरत मठ बनाम आर. विजया रेंगनाथन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को कानून की नजर में वैधता प्रदान की और माना कि उसे माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लिव-इन में रहने वाले माता-पिता से पैदा हुए बच्चे को माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की अनुमति दी जा सकती है।

लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति के संबंध में निष्कर्ष

- लिव-इन रिलेशनशिप पर जब हम उपर्युक्त कानूनी स्थिति को जानते है तो पहला निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में अब तक इसके संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है । यह न्यायालयों की भिन्न भिन्न फैसलों पर आधारित है । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनर्स के लिए कुछ अधिकारों और सुरक्षा को मान्यता दी है।
- उदाहरण के लिए लिव-इन रिलेशनशिप जो विवाह की प्रकृति में हैं उन्हें घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) 2005 के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिव-इन रिलेशनशिप कानून की धारा 2 (एफ) के तहत आता है जो घरेलू रिश्ते को परिभाषित करता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) 2005 पहला ऐसा कानून है , जो अन्य प्रावधानों के साथ ऐसी महिलाओं को भी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है , जो लिव-इन रिलेशनशिप में है । हालांकि वे अब भी कानूनी रूप से विवाहित नहीं हैं, लेकिन एक पुरुष के साथ उसी रूप में रह रही हैं ।
• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) परिभाषित करती है: घरेलू संबंध का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं।
• हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप को अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन व्याख्या के लिए इसे अदालतों पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 'विवाह की प्रकृति में संबंध' अभिव्यक्ति की व्याख्या करता है।

- दूसरा भारत में लिव-इन रिलेशनशिप कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है ।
- तीसरा एक वयस्क बालक और बालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वे किसके साथ रहना चाहते है ।

लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति के आधार पर वर्तमान मामले का विश्लेषण

- स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के फैसले के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले जा सकते है कि -
- पहला क्या धर्म के आधार पर दो समुदाए के लिए एक ही तरह के कार्य के लिए अलग अलग निर्णय का आधार हो सकता है ।
- दूसरा कि ऐसे मामले जहां संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता का प्रश्न हो वहाँ इसमें किसे वरीयता देना अधिक तार्किक होगा ।
- इसमें पहला निर्णय होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां धर्म के आधार पर किसी भी निर्णय में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है । स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान के मामले में फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मोहम्मद शादाब खान की पूर्व में हुई शादी के आधार पर उनके समर्थन में नहीं दिया है ।
- दूसरे मत का तर्क यह है कि संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता वाले प्रश्न के मामलों में संवैधानिक नैतिकता को वरीयता अधिक दी जायगी । जैसा कि पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन मामले, 2001 में स्पष्ट भी किया गया था । हालांकि यदि संवैधानिक नैतिकता के साथ यह सामाजिक नैतिकता का भी उलँघन है तो अपने निर्णय में न्यायालयों द्वारा इन दोनों को भी आधार बनाया जा सकता है ।

ResultMitra